

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

अब्दुल हिंद शक्ति सिंह
अब्दुल हिंद राजपूत
नाम
वाम

धारा 111-128-129 L.R Act
क्रि.सं. 71/18

8 बाद जाँच बाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज
जिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये
तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 25/5/2018
को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

25-5-18 पत्रावली वास्ते लोक जवालात
में पेश हुआ है। राजीनामा
पेश नहीं किया गया दिनांक
20-11-18 को।
(30-1-18) B.O

30-1-18 पत्रावली पेश हुई। दलील प्रार्थीगण उपस्थित/विपक्षीगण
के कम्प्लेंट वास तालिम। इन्हें तालिम प्राप्त नहीं है। P.O. को
उक्त कार्य के उपरान्त ही वार-ह विपक्षीगण के कम्प्लेंट वास
के पत्रावली दिनांक 16-1-19 को पेश है। B.O

16-1-19 पत्रावली पेश हुई। दलील प्रार्थीगण उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण
व प्रार्थीगण के दलील उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण
के दलील को जिला ही अर्थात् विधिवत तलब किया है।
जाह के उपरान्त ही कार्य 3:30 PM तक उपस्थित नहीं।
इन्हें के कार्य प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इन्हें हाजरी
व इन्हें पेश की है तालिम त्रिभुज जाया है। पत्रावली पेश
सुधान की जल्द ही तलब जारी है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा